राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

प.4(254)वित्त–1(1)आ.व्यय/2012/ जयपुर, दिनांकः 31.01.14

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान।

(स्वीकृति संख्या– 709 /2013–14)

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 में पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 184(2)परावि/ले.ब./है.प./अनु. आवंटन/2013–14/348 दिनांक 28.01.2014 के साथ (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 45/2013–14) संलग्न सारणी एवं शर्तो के अनुसार राशि रू. 1436.00 लाख (अक्षरे रू. चौदह करोड छतीस लाख) मात्र निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुए संबंधित पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे।

–:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :–

मांग संख्या 41

2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	(राशि लाख रू. में)
197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	
(09)–तदर्थ सहायता	
[01]–हैण्डपम्प मिस्त्रियों एवं फिटर्स के लिए अनुदान (संस्थापन)	
12– सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	68.00
92–सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (आयोजना भिन्न)	1368.00
(सलंग्न सारणी अनुसार) कुल योगः–	1436.00 लाख

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावें।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चो के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय

(एम.एल. आचार्य)
उप शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–5) विभाग।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सम्बन्धित।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बन्धित।
6. सिस्टम एनालिस्ट,वित्त (संयुक्त निदेशक) (कंम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
7. लेखाकार, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव, वित्त (बजट)

manalal ji all letter D 1